न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/99

1. पुष्पचन्द पुत्र स्व0 बाला आयु 65 वर्ष जाति मीणा ।
2. प्रभूलाल पुत्र स्व0 मोती शंकर आयु 60 वर्ष जाति मीणा ।
3. दुर्गेश (दुर्गाशंकर) पुत्र स्व0 बाबूलाल आयु 30 वर्ष जाति मीणा निवासीगण ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामनाथी पत्नी स्व0 सूरजमल जाति मीणा ।
2. किशन गोपाल पुत्र स्व0 सूरजमल जाति मीणा निवासीगण ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. सीताराम पुत्र हीरा जाति मीणा निवासी ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. सूरजा पत्नी छीतर लाल पुत्री कंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. खेमराज पुत्र माधो पुत्र भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. बिरधी लाल पुत्र माधो पुत्र भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. मोडू लाल पुत्र माधो पुत्र भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. पन्ना लाल पुत्र माधो पुत्र भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. रामगोपाल पुत्र छोट्या जाति मीणा ।
10. रामप्रहलाद पुत्र छोट्या जाति मीणा ।
11. रामस्वरूप पुत्र छोट्या जाति मीणा निवासीगण ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
12. मोडू पुत्र हजारा मृतक जरिये कायममुकामान :–
    12/1. देशराज
    12/2. पृथ्वीराज
    12/3. धनराज
    12/4. हंसराज पुत्रगण स्व0 मोडू ।

12/5. राममूर्ति पुत्री स्व0 मोड़ू जाति मीणा ।
12/6. शांति पत्नी स्व0 मोड़ू जाति मीणा निवासीगण ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

13. सीताराम पुत्र हजारा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
13/1. चन्द्र प्रकाश
13/2. शिवप्रकाश
13/3. महावीर पुत्रगण स्व0 सीताराम ।
13/4. कैलाश बाई पत्नी स्व0 सीताराम निवासीगण ग्राम चडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

14. रामस्वरूप पुत्र हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

15. छीतर पुत्र गोपाल जाति मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
15/1. पप्पू लाल
15/2. भोलाशंकर पुत्रगण छीतर ।
15/3. सुगना बाई
15/4. रामावतार पुत्रियॉ छीतर निवासीगण बूढिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

16. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दीपक कुमार साहू, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 की ओर से ।
3. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 15/1 लगायत 15/4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 20.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.06.2015 एवं 20.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम बूढिया तहसील के0 पाटन की आराजी कुल 21 किता की रकबा 82 बीघा 12 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में बाला प्रतिवादी का 1/6 हिस्सा, मोड़ू,

सीताराम, रामस्वरूप प्रतिवादीगण का सम्मिलित रूप से 1/6 हिस्सा, छीतर का 1/4 हिस्सा, वादीगण का सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कालू के दो पुत्र भैरूबक्ष व घांसी की संतानो वादीगण व प्रतिवादीगण ने 30–31 वर्ष पूर्व कर लिया था और सब अपने–अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर विभाजन में प्राप्त भूमि को प्रत्येक पक्षकारान के खाते में पृथक–पृथक दर्ज किया जाकर पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.02.1988 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी तथा दिनांक 30.03.1988 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.1988 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.03.1988 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.1996 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया ।

5. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.1996 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 08.06.2015 के द्वारा विभाजन की डिक्री पारित की एवं दिनांक 20.11.2015 को संशोधित आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं दिनांक 20.11.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन कया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.1996 में स्पष्ट निर्देश पारित किये थे कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करें परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा जारी निर्देशों की पालना किये बिना लोक अदालत ग्राम रडी में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं 20.11.2015 निरस्त फरमाये जावें ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं

डिक्री की जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं थे । लोक अदालत में अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेन्ट भोलाशंकर के कहने पर हुई कि तुम्हारी भूमि तो हमारे खाते में आ गई है । उसी समय कोराना महामारी के कारण लॉकडाउन होने से न्यायालय बन्द रहे । तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.06.2021 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 15.06.2021 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिसमें परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 01.02.1988 एवं 30.03.1988 को निर्णय एवं डिक्री पारित की थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की । उक्त अपील का निर्णय दिनांक 30.03.1996 को पारित किया गया जिसमें अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं अपीलान्ट के कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्देशों की पालना किये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में लोक अदालत ग्राम रडी में अंतिम डिक्री पारित कर दी । लोक अदालत में केवल आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते हैं । परीक्षण न्यायालय ने राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय ने खसरा नम्बर 734, 735, 736 की भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है । यह खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट पप्पूलाल, भोलाशंकर, सुगनाबाई, रामावतार बाई पुत्र/पुत्रियॉ छीतर के नाम कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । खसरा नम्बर 938, 937 अपीलान्ट के कब्जे में है परन्तु बंटवारे में रेस्पोडेन्ट खेमराज, रामगोपाल, रामप्रहलाद, रामस्वरूप वगै0 के हिस्से में देने का आदेश पारित किया है । खसरा नम्बर 549 रकबा 0.04 हैक्टर पर अपीलान्ट पुष्पचन्द का 35 वर्षो से भी अधिक समय से मकान बना हुआ है जिसमें अपीलान्ट निवास करता चला आ रहा है उक्त खसरा नम्बर गोपाल, खेमराज, रामगोपाल, राम प्रहलाद, रामस्वरूप के हिस्से में देने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादी क्रम 01 सूरजमल का स्वर्गवास निर्णय के पूर्व ही हो चुका था परन्तु उनके कायममुकाम बनाये बिना ही निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं 20.11.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2015 (2) पेज 817, आरआरटी 2016 (1) पेज 87, आरआसरटी 2011 (1) पेज 57, आरआरटी 2014 (1) पेज 258, आरआरटी 2009–10 (सप्ली0) पेज 86, डीएनजे 2021 (2) पेज 1085 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं 20.11.2015 के विरूद्ध दिनांक 23.06.2021 को पेश की है जो गंभीर अवधि बाधित है । अपीलान्ट ने अपील विलम्ब से पेश किये जाने का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया है । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 05 में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया कि तुम्हारे खाते की भूमि हमारे खाते बांध दी है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने किसी पक्षकार का शपथ पत्र पेश नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई है । परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं 20.11.2015 बहाल रखे जावें ।

11. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 15/1 लगायत 15/4 ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं 20.11.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 26.06.2014 का हवाला दिया गया है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया है । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने कई निर्णयों में यह अभिमत दिया है कि धारा 05 के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पर नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. वादीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पेश किया था जिसमें परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.1988 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी तथा दिनांक 30.03.1988 के द्वारा अंतिम डिक्री जारी कर दी गई । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.1996 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण

न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया था कि **"अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उसकी आपत्तियॉं सुनकर तथा उसके कब्जे को भी दृष्टिगत रखते हुए दुबारा फाइनल डिक्री जारी की जावे ।"** परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया । दिनांक 08.06.2015 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर हैं एवं पक्षकारान में किशन गोपाल एवं कल्याणी बाई के हस्ताक्षर हैं । उक्त विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया है । हल्का पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव मूल ही तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया है । परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को लोक अदालत ग्राम रडी में रखते हुए निर्णित किया है जबकि लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है । लोक अदालत में प्रभावित पक्षकारान की अनुपस्थिति में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है ।

14. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं 20.11.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं 20.11.2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार के0 पाटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण विभाजन से सम्बन्धित है और सन् 1980 से लम्बित है उपर्युक्त स्थिति में परीक्षण न्यायालय प्रस्तुत प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर आवश्यक रूप से निस्तारित करें । तहसीलदार के0 पाटन परीक्षण न्यायालय के निर्देशानुसार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव अविलम्ब तैयार कर प्रस्तुत करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । निर्णय की एक प्रति तहसीलदार, के0 पाटन को भी भिजवायी जावे ।

16. निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा